

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9907(2)/2016-17/323 दिनांक:-24/10/16

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि.(बालक), [01]-स्थापना व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गंभीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1480	लूणी (जोधपुर)	64085	श्री ओम प्रकाश मेहरू शाशि. राउप्रावि मानपुरा झालामण्डल के गुर्दा प्रत्यारोपण उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2.	1481	मण्डोर (जोधपुर)	84091	श्रीमती गीता त्रिवेदी अ. राउप्रावि के पति के गुर्दा प्रत्यारोपण उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3.	1600	फतेहपुर (सीकर)	107062	श्री चतर सिंह शाशि. रामावि बारी के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4.	1706	शाहपुरा (जयपुर)	9100	श्री श्रवण लाल पलसानिया अ. राउप्रावि भानीपुरा के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
योग			264338	

(अंके रूपय दो लाख चौसठ हजार तीन सौ अडतीस मात्र)

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/बजट/बी-5/9907(5)/2015-16/44 दिनांक 03.12.2015 द्वारा आवंटित राशि के विरुद्ध कर्मचारी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान नहीं किये जाने के कारण उक्त राशि का आवंटन किया गया है।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।

24/10/16
वरिष्ठ लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

24/10/16
वरिष्ठ लेखाधिकारी